छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग
मंत्रालय
नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर

क्रमांक : स.न.प्र. / 2020 / 65 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03 / 04 / 2020

प्रति,

1. समस्त आयुक्त
   नगर पालिक निगम, छ.ग.।
2. समस्त मुख्य नगर पालिका अधिकारी
   नगर पालिका परिषद / नगर पंचायत, छ.ग.।

विषय :– **निकाय क्षेत्रांतर्गत पीलिया को फैलने से रोकने के संबंध में।**

संदर्भ :– सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग का पत्र क्र. 266 दि. 03.04.2020

––00––

उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि, निकाय क्षेत्रांतर्गत पीलिया को फैलने से रोकने के लिए शुद्ध पेयजल का प्रदाय किया जावे। इस हेतु निम्नानुसार विषयों का विशेष ध्यान रखा जावे :–

1. समस्त वार्डों में नियमित रूप से साफ–सफाई करायी जावे।
2. डोर टू डोर कचरे का संग्रहण नियमित रूप से कराया जावे।
3. जल प्रदाय हेतु पाईपलाईन में लिकेज की मरम्मत तत्काल करायी जावे।
4. डिस्इंफेक्शन हेतु निर्धारित मात्रा में क्लोरीन आदि केमिकल का छिड़काव किया जावे।
5. जल शोधन संयंत्र का संचालन सुचारू रूप से किया जावे एवं नियमित रूप से वॉटर सेम्पल क्वालिटी टेस्टिंग किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
6. निकाय की सभी पानी की टंकियों की सफाई कराकर, अगली सफाई की तिथि पेन्ट से लिखी जावे।
7. वॉल चेम्बर आदि स्थानों पर पानी का भराव न होने दिया जावे, यदि लिकेज हो तो मरम्मत करायी जावे।
8. निकाय के सभी बोरवेल के पानी की जांच करायी जावे एवं पानी उपयोग हेतु उचित नहीं पाये जाने पर बोर से एसम्बेली निकाल कर, बोर को वेल्ड केप (Weld Cap) से बन्द किया जावे।
9. टैंकर से जल प्रदाय की स्थिति में, टैंकर की अन्दर से सफाई उपरान्त, रबर पेन्ट (Rubber Paint) कराया जावे। जल प्रदाय टैंकर को डिस्इंफेक्शन (Disinfection) कर, निर्धारित मात्रा में क्लोरीन डालकर ही किया जावे।

निकाय क्षेत्रांतर्गत पीलिया को फैलने से रोकने हेतु उपरोक्तानुसार कार्यवाही करते हुए, अन्य समस्त आनुषांगिक व्यवस्थाएं भी तत्काल किया जावे तथा की गई कार्यवाही की जानकारी, मुख्य अभियंता (यांत्रिकी प्रकोष्ठ) संचालनालय न.प्र.वि.वि. को प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे।

(अलरमेलमंगई डी.)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग

पृ.क्र / स.न.प्र. / 2020 / 66 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 03 / 04 / 2020

प्रतिलिपि :–

1. निज सचिव, मान. मंत्रीजी, छ.ग. शासन, न.प्र.वि.वि., मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
2. सचिव, छ.ग. शासन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर।
3. संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छ.ग.।
4. कलेक्टर, समस्त जिला छत्तीसगढ़।
5. मुख्य अभियंता (या.प्र.) संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, नवा रायपुर अटल नगर।
6. समस्त संयुक्त संचालक, नगरीय प्रशासन एवं विकास, छत्तीसगढ़।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग